[15/3/2021]

परि.162

विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. [क्र. 3454] के प्रश्नांश "क" की जानकारी

266 का दिनांक - 15-3-2021। सदस्य का नाम-श्री प्रदीप लारिया

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएें मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/साख/विधि/2016/1368 भोपाल, दिनांक 19-5-16

आदेश

म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के प्रतिनिधियों से प्राप्त ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में संघ की मांगों के परीक्षण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है।

कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रदेश में व्याप्त महंगाई के सूचकांक को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा कृषकों को कृषि ऋण, खाद, बीज उपलब्ध कराने सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य वितरण करने तथा उपार्जन का महत्वपूर्ण कार्य करने को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करने हेतु कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में प्रचलित सेवानियम 2013 के नियम क्रमांक अध्याय–8 कंडिका 34 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के संशोधित सेवानियम आदेश दिनांक से प्रभावशील होंगे।

उक्त आदेश आज दिनांक 19/5/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- संशोधित सेवा नियम का परिशिष्ट।

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक/साख/विधि/2016/1368 भोपाल, दिनांक 19-5-16

प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त सहकारिता (समस्त) संभाग मध्यप्रदेश।
6. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता (समस्त) जिला मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संशोधित सेवा नियम की प्रति अपने जिले की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करावें।
8. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
9. समस्त कक्ष प्रभारी साख शाखा मुख्यालय।
10. म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/5/16
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों हेतु मध्यप्रदेश में लागू सेवानियम के प्रावधानों में संशोधन

सेवा नियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
अध्याय–8 कंडिका–34	वेतन तथा भत्ते – कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते संस्था के संचालक मण्डल व्दारा संस्था की देय भुगतान क्षमता एवं अन्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संस्था की पात्रता के अन्तर्गत दिया जायेगा। संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जावेगा, परन्तु कर्मचारियों को निम्नानुसार प्रतिमाह न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जा सकेगा – 1. समिति प्रबंधक – रूपये 7000/– 2. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल– रूपये 6500/– 3. लिपिक/कैशियर –रूपये 6000/– 4. विक्रेता – रूपये 5500/– 5. भृत्य/चौकीदार रूपये 4500/– (निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक पारिश्रमिक दिये जाने हेतु पंजीयक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा) सौंपे गये कार्य अच्छी तरह निष्पादित करने पर प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में प्राप्त किये जा रहे पारिश्रमिक में तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी।	वेतन तथा भत्ते – कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते संस्था के संचालक मण्डल व्दारा संस्था की देय भुगतान क्षमता एवं अन्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संस्था की पात्रता के अन्तर्गत दिया जायेगा। संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जावेगा, परन्तु कर्मचारियों को निम्नानुसार प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जा सकेगा – 1. समिति प्रबंधक – उच्च कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 2. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल– कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर । 3. लिपिक/कैशियर – अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 4. विक्रेता – अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 5. भृत्य/चौकीदार – अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। (उक्त निर्धारित राशि से अधिक पारिश्रमिक दिये जाने हेतु पंजीयक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा)	महंगाई सूचकांक को देखते हुये तथा कर्मचारियों द्वारा कृषि ऋण वितरण, खाद–बीज वितरण, पी.डी.एस. कार्य तथा उपार्जन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने के कारण कर्मचारियों को राहत प्रदान करना।

अनुभाग अधिकारी

19/5/16

संयुक्त आयुक्त सहकारिता, म.प्र.